संख्या-711/2024/आई/833130/23-1-24/001-23-1002(002)/214/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 24 दिसम्बर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से देवीपाटन मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 26 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-11241/CE-HQ1/RSN5054/GON/2024-25, दिनांक 02.12.2024, पत्र संख्या-11299/CE-HQ1/RSN 5054/GON/2024-25, दिनांक 09.12.2024, पत्र संख्या-11300/CE-HQ1/RSN5054/GON/2024-25, दिनांक 09.12.2024 एवं पत्र संख्या-11345/CE-HQ1/RSN5054/GON/2024-25, दिनांक 12.12.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **देवीपाटन मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 26 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 20,89,47,000/- (रूपये बीस करोड़ नवासी लाख सैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख. बलरामपुर	रेहरा सादुल्लानगर मार्ग के किमी0 6 से बायें मुटरूपुरवा, प्रा0वि0 नयानगर, नट्टनडीह,	52/2020/555 रासनि/23-1-20-33 रासनि तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश	285.58 285.58 226.35 1.15 284.43	281.77	2.66	2.66

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		असनहवा, रामबलीडीह, मधईपुरवा होते हुए नवानाथ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-11-03-2020				
2	नि.ख. बलरामपुर	रेहरा सादुल्लानगर किमी 5 से प्रा0वि0 बनकटवा सरायखास नैटहवा साधूलालडीह, मालीडीह होते हुए लोनियानडीह मार्ग तक सम्पर्क मार्ग।	52/2020/555 रासनि/23-1-20-33 रासनि तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-11-03-2020	286.84 286.84 225.59 1.14 285.70	279.20	6.50	6.5
3	नि.ख. बलरामपुर	बलुआ बलुई सम्पर्क मार्ग से लालाडिहवा, कोड़री, सद्दोडीह, डबकी बाउडीह होते हुए पड़रियाखास तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2020/598 रासनि/23-1-20-25 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-11-03-2020	425.78 425.78 340.42 0.38 425.40	424.34	1.06	1.06
4	नि.ख. बलरामपुर	रमवापुर पुल से गुलालीडीह मुजहनी, हितलालडीह पिपरायाकूब भड़वाजोते होते हुए कुमरीडीह तक मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2020/598 रासनि/23-1-20-25 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-11-03-2020	481.83 481.83 372.18 0.42 481.41	463.66	17.75	17.75
5	नि.ख. बलरामपुर	प्रेमनगर से प्रा0वि0 आदमपुर होते हुए आदमपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2020/598 रासनि/23-1-20-25 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-11-03-2020	249.81 249.81 199.13 0.42 249.39	248.73	0.66	0.66
6	नि.ख. बलरामपुर	एम0जी0बी0एस0एन0 मार्ग के किमी0 2 से दायें फायर हाउस के	81 /2020/664 रासनि /23-1-20-57 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक	173.97 173.97 134.05 0.67	169.53	3.77	3.77

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		सामने से जूनियर हाईस्कूल प्राइमरी पाठशाला दिलावलपुर होते हुए हुसैनाबाद मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-27-03-2020	173.30			
7	नि.ख. बलरामपुर	बालपुर तिलकपुर मार्ग के किमी0 1 से दायें प्राथमिक पाठशाला कुकुरभुकवा, जमरा, छोटका ककरहवा, बड़का ककरहवा, लालपुरवा होते हुए चिरही तक सम्पर्क मार्ग।	82 /2020/691 रासनि /23-1-20-2 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-27-03-2020	399.72 399.72 319.70 0.67 399.05	396.70	2.35	2.35
8	नि.ख. बलरामपुर	अचलपुर चौधरी से मनुआगढ़ अहिरौला होते हुए मथुरा गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	82 /2020/691 रासनि /23-1-20-2 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-27-03-2020	456.11 456.11 362.46 2.25 453.86	451.77	2.09	2.09
9	नि.ख. बलरामपुर	किशुनपुर सागर मार्ग से मुरावनडीह, बंजरियाडीह, बरईडीह, अलाउद्दीनपुर, मीरपुर डिहवा होते हुए महमूदपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	82 /2020/691 रासनि /23-1-20-2 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-27-03-2020	388.13 388.13 306.44 1.90 386.23	383.25	2.98	2.98
10	नि.ख. बलरामपुर	घोरी पक्की सड़क से मुरावनडीह होते हुए नौडीहवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	82 /2020/691 रासनि /23-1-20-2 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-27-03-2020	284.03 284.03 223.72 1.13 282.90	279.71	3.19	3.19

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
11	नि.ख. बलरामपुर	एम0जी0बी0एस0एन0 मार्ग के किमी0 5 से बायें कलंदर जोत शिवपुर ग्रन्ट होते हुए महुआचाटी सम्पर्क मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।	82 /2020/691 रासनि /23-1-20-2 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-27-03-2020	237.31 237.31 187.38 0.95 236.36	234.70	1.66	1.66
12	नि.ख. बलरामपुर	मसीहाबाद ग्रन्ट ईदगाह से दक्षिण कोठिया बहुरवा इस्लामडीह हवा मसीहाबाद होते हुए नवाबकोठी डीह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	85 /2020/376 रासनि /23-1-20-56 रासनि/20 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-31-03-2020	363.68 363.68 285.16 0.60 363.08	354.76	8.32	8.32
13	नि.ख. बलरामपुर	बदलपुर हुसैनाबाद टावर के पास चैराहा से बनकटावा, धर्मापार होते हुए जूनियार हाईस्कूल जड़ार तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-01-03-2021	385.33 385.33 297.66 3.00 382.33	369.20	13.13	13.13
14	नि.ख. बलरामपुर	गद्दौपुर झण्डेलनगर सम्पर्क मार्ग से लोनियनडीह, सलारूडीह, जियाउडीह,बैसडीह होते हुए झण्डेनगर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-01-03-2021	273.25 273.25 210.54 2.12 271.13	261.88	9.25	9.25
15	नि.ख. बलरामपुर	पचौथा सम्पर्क मार्ग से बम्बाडिहवा पण्डितपुरवा लखमा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	75/2020/01 रासनि/23-1-21-103 रासनि/20 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023	361.29 361.29 279.18 0.72 360.57	346.95	13.62	13.62

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			दिनांक 18.10.2024-दिनांक-05-03-2021				
16	नि.ख. बलरामपुर	बलरामपुर खगईजोत मार्ग से पचीठ पल्टीपुर दुल्हापुर सनेहिडीह, लक्ष्मीडीह होते हुए विजयनगर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	75/2020/01 रासनि/23-1-21-103 रासनि/20 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-05-03-2021	256.97 256.97 198.08 0.50 256.47	246.83	9.64	9.64
17	नि.ख. बलरामपुर	कर्मा पिच से बभनपुरवा अमारेभरिया तकिया प्रा0वि0 महुआ घाटम होते हुए नन्दमहरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	75/2020/01 रासनि/23-1-21-103 रासनि/20 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-05-03-2021	405.05 405.05 312.70 3.15 401.90	386.88	15.02	15.02
18	नि.ख. बलरामपुर	प्राथमिक विद्यालय कलिन्जरग्रन्ट से बेनीपुर होते हुए जोगिया तक सम्पर्क मार्ग।	75/2020/01 रासनि/23-1-21-103 रासनि/20 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-05-03-2021	215.62 215.62 165.53 1.66 213.96	205.10	8.86	8.86
19	नि.ख. बलरामपुर	पेहर बडहरा से भिठौरा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-16-07-2021	79.66 79.66 57.92 2.90 76.76	73.28	3.48	3.48
20	नि.ख. बलरामपुर	धुसवा मार्ग से डिपुवा खजुरी सुक्खडीह होते हुए नकहवा तक सम्पर्क मार्ग	24/2022/1886 रासनि/23-1-21-46 रासनि/20 टीसी तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-	354.71 354.71 206.34 0.62 354.09	337.46	16.63	16.63

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-05-01-2022				
21	प्रा.ख. बहराइच	रमपुरवा-दौण्डी से फुटहा बाबा से बेलहौरा लालापुरवा बोधेपुरवा, पतालपुरवा, औरीदास बाबा (मथौरा सं0 मार्ग) तक सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक- 07-01-2022	349.95 349.95 227.21 48.12 301.83	262.19	39.64	39.64
22	प्रा.ख. गोण्डा	जनपद गोण्डा में सोनापार गुमडी उज्जेनीकला मार्ग (अ0जि0मा0) का आई0आर0क्यू0पी0 योजनान्तर्गत सतह सुधार का कार्य (चै0 5.000 से 9.000)।	51 /2024/आई/ 495937/23-1-24/ 001- 23-1002(002)/27/ 2024-दिनांक-15-02-2024	780.13 780.13 657.69 2.57 777.56	668.95	108.61	65.16
23	प्रा.ख. श्रावस्ती	कटरा लालबोझी मार्ग (अ0जि0मा0) मार्ग के चैनेज 0.000 से 17.200 तक मार्ग के किमी 1 से 17.200 तक 7.00 मी0 चैड़ाई में चैड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	1059 /2023/आई/ 445928/23-1-23/001- 23-1002/68/2023 दिनांक-12-12-2023	5841.09 5841.09 4533.10 19.04 5822.05	2595.65	3226.40	613.20
24	नि.ख.-2 गोण्डा	सरयू स्टेशन चचरी माझा भौरीगंज परसपुर मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	995 /2023/आई/ 418693/23-1-23/001- 23-1002/6/2023 -दिनांक-01-11-2023	8614.80 8614.80 6323.79 4.17 8610.63	5525.48	3085.15	200.78
25	नि.ख.-2 गोण्डा	करनैलगंज परसपुर दुर्जनपुर बन्धा मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	02 /2024 /आई/ 461291/23-1-24/001- 23-1002/78 /2023- दिनांक-02-01-2024	7771.66 7771.66 5850.16 3.27 7768.39	3943.41	3824.98	448.33
26	प्रा.ख. गोण्डा	कुड़ासन पेरा निहारा राजगढ़ मोतीगंज मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	23 /2024 /आई/ 474605/23-1-24 /001- 23-1002 (002)/ 221 /2024-दिनांक- 17-01- 2024	5521.39 5521.39 3977.34 21.49 5499.90	1991.74	3508.16	579.74
						कुल योग-	**2089.47**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 20,89,47,000/- (रूपये बीस करोड़ नवासी लाख सैंतालीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-711/2024/आई/833130(1)/23-1-24/001-23-1002(002)/214/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।